न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
124 / 2025

दायर दिनांक
05.03.2025

निर्णय दिनांक
13.10.2025

उनवान

1. श्री शक्ति सिंह पुत्र खेमा उर्फ खेम सिंह पंवार (दरोगा) राजपूत, निवासी बावड़ी का खेड़ा, मालोला रोड, भीलवाड़ा।

— प्रार्थी

बनाम

1. बाबूसिंह पुत्र खेमा उर्फ खेम सिंह पंवार (दरोगा) निवासी यु0आई0टी0 ऑफिस के पीछे, सुभाषनगर, भीलवाडा।
2. लादू सिंह पुत्र खेमा उर्फ खेम सिंह पंवार (दरोगा) निवासी यु0आई0टी0 ऑफिस के पीछे, सुभाषनगर, भीलवाडा।
3. शंकर सिंह पुत्र खेमा उर्फ खेम सिंह पंवार (दरोगा) निवासी यु0आई0टी0 ऑफिस के पीछे, सुभाषनगर, भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

— विपक्षी

उपस्थितः—

1. **अधिवक्ता प्रार्थी श्री पुनीत कुमार शर्मा उपस्थित।**
2. **विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित।**
3. **विपक्षी संख्या 04 की और से पैराकार सरकार।**

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पांसल, पटवार हल्का पासंल प्रथम, तहसील व जिला भीलवाडा में प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार के खाता संख्या 1672 में आराजी नम्बर 2655/1 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2655/2 रकबा 0.4805 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.5437 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 1673 में आराजी नम्बर 2654 रकबा 0.5817 कुल किता 01 कुल रकबा 0.5817 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 2042 में आराजी नम्बर 2618/1 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2618/2 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4679 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात में से खाता संख्या 1672 व 1673 में वर्णित आराजीयात प्रार्थी के 1/4 हक हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा खाता सख्या 2042 में वर्णित आराजीयात प्रार्थी के 1/5 हक हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त आराजीयात प्रार्थों की पैतृक कृषि आराजीयात है। जो प्रार्थी के पिता खेमसिंह उर्फ खेमा की विरासत से प्रार्थी व अन्य वारिसान के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुई है परन्तु उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के नाम पर दर्ज होते समय प्रार्थी के बोलते नाम सत्तुसिंह पुत्र खेमा के नाम से राजस्व रेकार्ड में विरासत से नामान्तरित हो गई जबकि प्रार्थी का सही व दस्तावेजी रेकार्ड अनुसार वास्तविक नाम शक्तिसिंह पुत्र खेमसिंह है तथा उक्तानुसार ही राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर इन्द्राज दुरूस्ती कर प्रार्थी का सही नाम शक्ति सिंह पुत्र खेमसिंह दर्ज किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक एवं विधि अनुकुल है।

FILE NO.

उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की पैतृक कृषि आराजीयात है। जो प्रार्थी के पिता खेमसिंह उर्फ खेमा की विरासत से प्रार्थी व अन्य वारिसान के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुई है परन्तु उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के नाम पर दर्ज होते समय प्रार्थी के बोलते नाम सत्तुसिंह पुत्र खेमा के नाम से राजस्व रेकार्ड में विरासत से नामान्तरित हो गई जबकि प्रार्थी का सही व दस्तावेजी रेकार्ड अनुसार वास्तविक नाम शक्तिसिंह पुत्र खेमसिंह है तथा उक्तानुसार ही राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर इन्द्राज दुरूस्ती कर प्रार्थी का सही नाम शक्ति सिंह पुत्र खेमसिंह दर्ज किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक एवं विधि अनुकुल है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी का बोलता नाम सत्तु सिंह दर्ज हो जाने से प्रार्थी को अपनी उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही करने, ऋण आदि प्राप्त करने व उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का संव्यवहार करने में कई प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार की तरफ से किसानो के लिए चलाई जा रही कई लाभकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी प्रार्थी को अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। इस कारण प्रार्थनापत्र की कलमं संख्या 01 में वर्णित आराजीयात मे संशोधन कर प्रार्थी का बोलता नाम सत्तु सिंह के स्थान पर शक्ति सिंह दर्ज किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक एवं विधि अनुकुल है।

प्रार्थी के आधार कार्ड, नल–बिजली के बिल, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड आदि सभी पहचान सम्बन्धी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम शक्तिसिंह ही दर्ज है तथा प्रार्थी के मकान आदि का जारी पट्टे में भी प्रार्थी का नाम शक्ति सिंह पुत्र खेमसिंह ही दर्ज है तथा प्रार्थी के शैक्षणिक दस्तोवजो में भी प्रार्थी का नाम शक्तिसिंह ही दर्ज है परन्तु केवल मात्र वादग्रस्त आराजीयात का विरासत से नामान्तरण करते समय बोलता नाम सत्तु सिंह दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी के किसी भी दस्तावेज मे उक्त नाम का उल्लेख नही है। इस कारण वादग्रस्त आराजियात में वर्णित प्रार्थी के नाम को दुरूस्त कर सत्तु सिंह के स्थान पर शक्ति सिंह दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 प्रार्थी के भाई है तथा उक्त सभी विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 वादग्रस्त आराजियात के सह खाततेदार है तथा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम में संशोधन किया जाकर सत्तु सिंह के स्थान पर वास्तविक व सही नाम शक्ति सिंह दर्ज किये जाने से उक्त सह खातेदारान के हितों पर भी कोई विपरित प्रभाव नहीं पडेगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम पांसल, पटवार हल्का पासंल प्रथम, तहसील व जिला भीलवाडा में प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार के खाता संख्या 1672 में आराजी नम्बर 2655/1 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2655/2 रकबा 0.4805 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.5437 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 1673 में आराजी नम्बर 2654 रकबा 0.5817 कुल किता 01 कुल रकबा 0.5817 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 2042 में आराजी नम्बर 2618/1 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2618/2 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4679 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम सत्तु सिंह पुत्र खेमा में संशोधन किया जाकर उक्त नाम के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शक्ति सिंह पुत्र श्री खेमसिंह पंवार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2025 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 द्वारा शपथ पत्र कर प्रार्थी का नाम संशोधन करने हेतु सहमति प्रदान की है। प्रकरण में विपक्षी 01 तहसीलदार भीलवाडा का जवाब पत्रांक 3167 दिनांक 16.09.2025 से प्राप्त है जिसके अनुसार ग्राम पासंल की आराजी नम्बर 2618/1, 2618/2, 2655/1, 2 व 2654 में प्रार्थी का नाम सतुसिंह पिता खेमा व सतुसिंह, पिता खेमसिंह के सतुसिंह उर्फ शक्तिसिंह पिता खेमसिंह संशोधित किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस, विपक्षी पैराकार सरकार बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पटवार हल्का पासंल प्रथम, तहसील व जिला भीलवाडा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार के खाता संख्या 1672 में आराजी नम्बर 2655/1 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2655/2 रकबा 0.4805 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.5437 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 1673 में आराजी नम्बर 2654 रकबा 0.5817 कुल किता 01 कुल रकबा 0.5817 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 2042 में आराजी नम्बर 2618/1 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2618/2 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4679 हैक्टेयर भूमि के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम सत्तु सिंह पुत्र खेमा के बजाय सतुसिंह उर्फ शक्तिसिंह पिता खेम सिंह अंकित किए जाना आवश्यक है। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम **सत्तु सिंह पुत्र खेमा व सत्तुसिंह पिता खेमसिंह के बजाय सत्तुसिंह उर्फ शक्तिसिंह पिता खेमसिंह** संशोधित किये जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव

—:आदेश :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कि ग्राम पांसल, पटवार हल्का पासंल प्रथम, तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 1672 में आराजी नम्बर 2655/1 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2655/2 रकबा 0.4805 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.5437 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 1673 में आराजी नम्बर 2654 रकबा 0.5817 कुल किता 01 कुल रकबा 0.5817 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 2042 में आराजी नम्बर 2618/1 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2618/2 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4679 हैक्टेयर भूमि के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम **सत्तु सिंह पुत्र खेमा व सत्तुसिंह पुत्र खेमसिंह** के बजाय **सत्तुसिंह उर्फ शक्तिसिंह पिता खेमसिंह** इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 3.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(अश्वन कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा